ख अहकाम
ी तामिल

# FORM NO. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

## जज अदालत तहसीलदार मण्डावर मुकाम–मण्डावर (दौसा)

सरकार ............... बनाम .................. प्रभूदयाल मीना

किस्म मुकदमा– भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या–26 सन्–2021

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज<br>**मुकदमा नम्बर–26/2021** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 10.01.2022 | पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2078 ग्राम मुनापुरा भूमि ख0न0 1250 रकबा 0.01 है0 एवं ख0न0 1246 रकबा 0.01 राजकीय सिवायचक भूमि किस्म गैर मु0 रास्ता पर गैरसायल प्रभूदयाल मीना पुत्र रतनलाल मीना जाति मीना निवासी मुनापुरा द्वारा जोत लगा कर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश होने पर, दर्ज रजिस्टर कर, गैरसायल को राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायल उपस्थित हुआ। गैर सायल द्वारा अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया गया। तथा अतिक्रमण हटाये जाने पर सहमति व्यक्त की।<br>पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैरसायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू–राजस्व लगान दर 0.40 रूपये का 50 गुणा 20 रूपये तथा भू–राजस्व लगान दर 0.40 रूपये का 50 गुणा 20 रुपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है।<br>बेदखली एवं वसूली हेतु आई0एल0आर0/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>(हस्ताक्षर)<br>तहसीलदार<br>तहसील मण्डावर (दौसा)<br>रा0 ले0 सं0 4 वर्ष 2078 की पृ0 सं0 13 पर 40 रु की मांग कायम की गई।<br>(हस्ताक्षर)<br>तहसील राजस्व लेखाकार | |